263

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम०के०सिंह
सदस्य

रिव्यू प्रकरण कमांक 198-एक/2017 विरुद्ध इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3562-एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2016। --------

1-लोकेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह।
2-श्रीमती सन्तोदेवी पत्नि लोकेन्द्रसिंह।
3-बाबूसिंह पुत्र हवलदारसिंह।
4-सरनामसिंह पुत्र तेजसिंह।
5-लक्ष्मीनारायन पुत्र तेजसिंह।
6-हरीशंकर पुत्र तेजसिंह।
7-संध्याबाई पुत्री तेजसिंह।
8-विजयसिंह पुत्र केदारसिंह।
9-रामेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह।
10-होशियारसिंह पुत्र कप्तानसिंह।
11-उदयसिंह पुत्र कप्तानसिंह।
12-लक्ष्मणसिंह पुत्र बाबूसिंह।
13-मोतीसिंह पुत्र बाबूसिंह।
14-पुत्तूसिंह पुत्र कप्तानसिंह।
15-शांतिशरण पुत्र कप्तानसिंह।
16-सीमा पुत्री शांतिशरण।
17-गुडडी पुत्री कप्तानसिंह।
18-इन्द्रपाल पुत्र हमीरसिंह।
19-सावित्री पत्नी इन्द्रपालसिंह।
20-विनोद पुत्र गुन्धीसिंह।
21-रंजीत पुत्र गुन्धीसिंह।
22-योगेश पुत्र गुन्धीसिंह।
23-भूपेन्द्रसिंह पुत्र गुन्धीसिंह।
24-सरनामसिंह पुत्र पोहष सिंह।
सभी जाति ठाकुर,
निवासीगण ग्राम सिरोही,
तहसील जौरा जिला मुरैना।

-------**आवेदकगण**

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

--------**अनावेदक**

श्री एस०के०शर्मा, अभिभाषक------आवेदकगण।
श्री व्ही०के०शुक्ला अभिभाषक------अनावेदक।

रिव्यू-198/17

आ दे श

(आज दिनांक 9.2.17 को पारित)

मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता-1959 की धारा-51 के अन्तर्गत यह रिव्यू आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3562/2013 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील जौरा के प्रकरण कमांक 02/2004-2005/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 13-09-2005 से ग्राम सिरोही तहसील जौरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमियों का आवंटन आवेदकगणों के हक में व्यवस्थापन किया गया। नायब तहसीलदार जौरा द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 13-09-2005 को अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा त्रुटिपूर्ण पाते हुये प्रतिवेदन दिनांक 31-08-2012 से उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वयंमेव निगरानी में लिय जाने हतु कलेक्टर जिला मुरैना को प्रेषित किया गया। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण स्वयंमेव निगरानी कमांक 04/2012-13/स्व0निग0 पर पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 16-09-2013 से नायब तहसीलदार जौरा द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 13-09-2005 निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों को पुनः शासकीय घोषित किया गया। कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2013 से परिवेदित होकर आवेदकगणों के द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इस न्यायालय द्वारा आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांक 19-12-2016 से निरस्त की गयी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 को रिव्यू में लिये जाने बाबत आवेदकगणों के द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदकगणों की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा रिव्यू आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कहा गया है कि नायब तहसीलदार जौरा द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर विगत कई वर्षो से कब्जा होने के आधार पर ही आवेदकगणों के हक में व्यवस्थापन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वयंमेव

निगरानी में लेकर निरस्त किये जाने का प्रतिवेदन कलेक्टर जिला मुरैना को भेजा। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा भेजे गये असत्य प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रकरण स्वयंमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश दिनांक 19-06-2013 से आवेदकगणों के हक में किये गये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस न्यायालय द्वारा भी बिना किसी आधार के ही आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी गयी।

आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह बताया है कि नायब तहसीलदार जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-2005 को कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा सात वर्ष के बाद स्वयंमेव निगरानी में लिया गया जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयंमेव निगरानी में लिये जाने की अवधि एक वर्ष मान्य की गयी है। इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया इस कारण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना एवं इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया कि आवेदकगणों के द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 एवं धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया गया था कि नायब तहसीलदार जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-2005 के विरूद्ध इन्द्रवीरसिंह आदि के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गयी है जो कि प्रकरण कमांक 3560/एक/2013 पर पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। दूसरा कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी है जो याचिका कमांक 4207/2013 पर विचाराधीन है। इस प्रकार यह अभिलेख से स्पष्ट प्रकट है कि जब मामला वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन है। तब कानूनन कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये। इस बिन्दु पर न तो कलेक्टर, मुरैना द्वारा कोई विचार किया गया न इस न्यायालय द्वारा ही विचार किया। इसलिये दोनों आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि यह कानूनी बिन्दु विचार करने से रह गया है। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा एवं इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया

रिव्यू-198-5/17

यह कि शासन द्वारा दिनांक 21-01-2003 से आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी है न कि व्यवस्थापन के संबंध में। यह विन्दु भी विचार करने से छूट गया है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 तथा कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त करते हुये रिव्यू आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

शासन पक्ष की ओर से नियुक्त अभिभाषक ने अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा नायब तहसीलदार जौरा द्वारा व्यवस्थापन आदेश में की गयी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुये ही व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा भी आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुये कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस प्रकार कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश है जिन्हें यथावत रखा जाकर प्रस्तुत रिव्यू आवेदन पत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्को पर मनन किया गया विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार जौरा द्वारा ग्राम सिरोही तहसील जौरा में स्थित शासकीय भूमियों का व्यवस्थापन आवेदकगणों के हक में दिनांक 13-09-2005 को किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा दिनांक 31-8-2012 को व्यवस्थापन आदेश में पायी गयी अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये व्यवस्थापन आदेश को स्वयमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर जिला मुरैना को भेजा गया। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 16-09-2013 से व्यवस्थापन आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों को पुनः शासकीय घोषित किया गया। आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी अवधि बाहय होने के बिन्दु पर जोर दिया गया कि 07 वर्ष के बाद स्वयंमेव शक्तियों का प्रयाग नहीं किया जा सकता है इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया जो कि पुनरावलोकन का आधार है। 2013 रे0नि0 08 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में माननीय उच्च

Rev. 1985/17

[illegible] द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता, [illegible] म०प्र०)-50-स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियाँ-का प्रयोग-पुनरीक्षण [illegible] ने यह उल्लेख नहीं किया गया कि संहिता के किसी उपबन्ध [illegible] उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया-180 दिवस से बाहर [illegible] शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं हो पाया है। 2014 रे०नि० 168 संदेश समैया विरूद्ध गोकलिया उर्फ गोकुल तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 50-स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग-के लिये परिसीमा-जानकारी का दिनांक नहीं दर्शाया गया-ऐसी शक्तियाँ 180 दिवस से बाहर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टि में यह प्रकट है कि इस न्यायालय द्वारा निराकरण करते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं हो पाया है।

आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक ने दूसरा मुख्य बिन्दु यह बताया है कि शासन द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2003 से आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी थी न कि व्यवस्थापन के संबंध में। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 30-18/2002/सात-2ए भोपाल दिनांक 21 जनवरी, 2003 में चरनोई का रकवा न्यूनतम दो प्रतिशत रखते हुये उपलब्ध कृषि भूमि का अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन के सबंध में रोक लगायी गयी है। इस परिपत्र में व्यवस्थापन पर रोक के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा यह आधार मानकर कि दिनांक 21-01-2003 से रोक लगी हुयी है। व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर दिया गया जो उचित नहीं है। इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 को पुनरावलोकन में लिये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने को बल प्राप्त है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 एवं कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2013 विधिसम्म्त न होने एवं न्यायिक सिद्धान्तों

... अनुरूप न होने के कारण निरस्त किये जाते हैं और आवेदकगणों के ... प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर